

II/निग०/सिंगरौली/2018/297

13/238

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर  
कैम्प रीवा (म०प्र०)

श्री महेंद्र सिंह  
पेशा/5-2-18  
lw/



Rs. 40/-

जयपाल पिता जगपति यादव निवासी ग्राम कोडरिया तहसील देवसर  
जिला सिंगरौली (म०प्र०) .....निगरानीकर्ता/आवेदक

बनाम

महादेव यादव पिता रामकरण यादव निवासी ग्राम कोडरिया :-मृतक

विधिक वारिसान

1. जग्यलाल पिता महादेव यादव उम्र 50 वर्ष पेशा खेती
2. ललबा पिता महादेव यादव उम्र 48 वर्ष पेशा खेती
3. रामलाल पिता महादेव यादव उम्र 45 वर्ष पेशा खेती
4. बबउना पिता महादेव यादव उम्र 42 वर्ष पेशा खेती
5. मनिराज पिता महादेव यादव उम्र 40 वर्ष पेशा खेती
6. जगदीश पिता महादेव यादव उम्र 38 वर्ष पेशा खेती सभी निवासी ग्राम कोडरिया तहसील देवसर जिला सिंगरौली (म०प्र०)

.....गैरनिगरानीकर्तागण/अनावेदकगण

प्रकरण निगरानी

निगरानी विरुद्ध न्यायालय श्रीमान्  
अपर कलेक्टर महोदय बैदुन जिला  
सिंगरौली के राजस्व प्रकरण क्रमांक  
02/निगरानी/2017-18 में पारित  
आदेश दिनांक 26/12/2017

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र०  
भू-राजस्व संहिता 1959

Al.

Q

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक II/निग0/2018/917

जिला- सिंगरौली

जयलाल यादव/ महादेव यादव

(1)	(2)	(3)
<p>०५८-१९</p>	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री महेन्द्र सिंह उपस्थित। <del>आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला सिंगरौली</del> प्रकरण क्रमांक 02/निगरानी/2017-18 में पारित आदेश दिनांक 26.12.2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त रीवा संभाग रीवा को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 23.10.19 को आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;">(महेशान्द्र चौधरी), सदस्य</p>	